संख्या-77/2018/2324/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-28 जून, 2018

विषयः- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद् गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3924/सा0-2/बारह/569/2018-19, दिनांक-26.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिए रू0-120.00 लाख प्रति जनपद की दर से उपाशयित कुल व्यय भार रू0-8160.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0-50.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रू0-3400.00 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन एवं अन्ततः अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-102-पशु तथा भैंस विकास-(-)-वृहद गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना-24-वहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) समस्त सम्बन्धित 68 जिलाधिकारियों द्वारा निम्नानुसार निर्धारित न्यूनतम मानकानुसार अथवा उससे बड़े मानक के वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी:-

1. पृथक-पृथक 04 गोवंश शेड जिनका कुल क्षेत्रफल 14,000 वर्ग फीट हो।
2. 02 भूसा गोदाम, जिनका कुल क्षेत्रफल 2,000 वर्ग फीट हो।
3. कार्यालय/औषधि कक्ष/स्टोर - 300 वर्ग फीट।
4. 06 कर्मचारी आवास एवं शौचालय/स्नानागार, जिनका कुल क्षेत्रफल - 1,100 वर्ग फीट।
5. चारा पानी के लिए 04 चरहियाँ, जिनका कुल क्षेत्रफल - 800 वर्ग फीट।
6. शेडों के बाहर भी खुले क्षेत्र में कुछ चरनियाँ, जिनका कुल क्षेत्रफल 5,400 वर्ग फीट हो तथा जिन पर बाद में यथावश्यकता शेड बनाया जा सके।
7. पम्प हाऊस का निर्माण, जिसमें उपयुक्त क्षमता का सबमर्सिबल पम्प/सोलर वाटर पम्प स्थापित किया जाय तथा 10,000 (दस हजार) लाटर क्षमता की पानी की टंकियाँ स्थापित की जायें।
8. बाउन्ड्रीवाल व शेडों के पृथकीकरण हेतु बाड़ की समुचित व्यवस्था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर तत्काल सम्बन्धित 68 जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जायेगी और उपलब्ध धनराशि से वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराये जाने एवं उसके अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी की होगी।

(3) वृहद गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु यदि रू0-120.00 लाख से अधिक धनराशि की आवश्यकता हो, तो उक्त अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा मनरेगा, ग्राम पंचायत की संचित निधि, वित्त आयोग, खनिज विकास निधि, यथावश्यकता रायफल निधि, जिला पंचायत निधि, क्षेत्र पंचायत निधि, सांसद क्षेत्र विकास निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि से डवटेल करके कराते हुए इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व प्रश्नगत निर्माण हेतु भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व निर्माण कार्य की लागत सम्बन्धी आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(6) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की होगी।

(10) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(11) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(12) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन एवं अन्ततः अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-102-पशु तथा भैंस विकास-(-)-वृहद गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना-24-वहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा रही प्रश्नगत धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-373/दस-2018, दिनांक-26.06.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>वित्त विभाग का पृष्ठांकन संख्या-ई-2/2018/सी.एफ:सं.-001/दस-2018, दिनांक-25.06.2018</u>

प्रतिलिपि महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

<u>पृ0सं0-77/2018/2324(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in